

आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२५-२६  
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी  
वितरण. (कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय  
कल्याण)

महाराष्ट्र शासन  
आदिवासी विकास विभाग  
शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२५/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६  
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२  
दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२५.

**वाचा :-**

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दि. ०७ एप्रिल, २०२५.
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.०३.०४.२०२५ व दि.२१.०४.२०२५, दि.३०.०४.२०२५, दि.२९.०५.२०२५, दि.२३.०६.२०२५ व दि.२८.०७.२०२५

**प्रस्तावना :-**

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित निधीच्या वितरणाबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार सन २०२५-२६ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२५ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% मर्यादेत अर्थसंकल्पित अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत केला जाणार आहे.

सद्यस्थितीत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य खर्चाच्या व कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांच्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी ०२-मजुरी, ०३-अतिकालिक भत्ता, ०६- दुरध्वनी, वीज व पाणी, ११- प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १९-आहार खर्च, २४-पेट्रोल तेल व वंगण, २८- व्यावसायिक सेवा व ५०-इतर खर्च या बाबींकरीता ३५ % मर्यादेतील तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

या अनुषंगाने उपरोक्त उद्दीष्टांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता यापुर्वी वितरीत तरतूदी विचारात घेऊन उर्वरीत तरतूदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरीता सोबतच्या **विवरणपत्रातील** रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता

रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील विहित तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्त इतर बाबी तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्यकतेनुसार निधी वितरणासाठी योजनानिहाय स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेल्या निधी मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०८१११२३९३६७२२४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(प्रविण झा.कोतमे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
४. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
६. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती.
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर.
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
११. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई.
१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१४. निवड नस्ती (का-६).

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र |   |                         |                                |   |                              |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| (रु.हजारात)   |   |                         |                                |   |                              |
| अ.क्र.  | योजनेचे नाव   | बाब                     | अर्थसंकल्पित तरतूद २०२५ - २०२६ | सदर शा.नि.न्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद | नियंत्रक अधिकारी             |
| महसूली योजना  |   |                         |                                |   |                              |
| २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,                  |   |                         |                                |   |                              |
| ०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण,   |   |                         |                                |   |                              |
| १   | आदिवासी विकास आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण (२२२५ १३९३) | ०२-मजुरी                | १.००                           | ०.१८  | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
|   |   | ०३-अतिकालीन भत्ता       | ३००.००                         | ३०.००   |                              |
|   |   | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी | १०००.००                        | १००.००  |                              |
|   |   | ११-प्रवास खर्च          | २०००.००                        | २००.००  |                              |
|   |   | १३-कार्यालयीन खर्च      | ४५०००.००                       | ४५००.००   |                              |
|   |   | १४-भाडेपट्टी व कर       | ५०००.००                        | ५००.००  |                              |
|   |   | २४-पेट्रोल तेल व वंगण   | ५०००.००                        | ५००.००  |                              |
|   |   | २८-व्यावसायिक सेवा      | ५८००.००                        | ५८०.००  |                              |
|   |   | <b>एकूण</b>             | <b>६४१०१.००</b>                | <b>६४१०.१८</b>                                  |                              |
| २   | आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (२२२५ डी७२५)           | ०२-मजुरी                | १.००                           | ०.१८  | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
|   |   | ०३-अतिकालीन भत्ता       | १.००                           | ०.१८  |                              |
|   |   | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी | १५००००.००                      | १५०००.००  |                              |
|   |   | ११-प्रवास खर्च          | १५०००.००                       | १५००.००   |                              |
|   |   | १३-कार्यालयीन खर्च      | ८००००.००                       | ८०००.००   |                              |

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र |                             |                            |                                |   |                              |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| (रु.हजारात)   |                             |                            |                                |   |                              |
| अ.क्र.  | योजनेचे नाव                 | बाब                        | अर्थसंकल्पित तरतूद २०२५ - २०२६ | सदर शा.नि.न्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद | नियंत्रक अधिकारी             |
|   |                             | १४-भाडेपट्टी व कर          | ५१३०००.००                      | ५१३००.००  |                              |
|   |                             | १९-आहार खर्च               | १६३००००.००                     | १६३०००.००                                       |                              |
|   |                             | २८-व्यावसायिक सेवा         | १.००                           | ०.१८  |                              |
|   |                             | <b>एकूण</b>                | <b>२३८८००३.००</b>              | <b>२३८८००.५४</b>                                |                              |
| ३   | आश्रमशाळा समुह (२२२५ डी७३४) | ०२-मजुरी                   | १.००                           | ०.१८  | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
|   |                             | ०३-अतिकालीन भत्ता          | १.००                           | ०.१८  |                              |
|   |                             | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी    | १६००००.००                      | १६०००.००  |                              |
|   |                             | ११-प्रवास खर्च             | २१०००.००                       | २१००.००   |                              |
|   |                             | १३-कार्यालयीन खर्च         | ७००००.००                       | ७०००.००   |                              |
|   |                             | १४-भाडेपट्टी व कर          | ७००००.००                       | ७०००.००   |                              |
|   |                             | १९-आहार खर्च               | ३८०००००.००                     | ३८००००.००                                       |                              |
|   |                             | २८-व्यावसायिक सेवा         | १.००                           | ०.१८  |                              |
|   |                             | <b>एकूण</b>                | <b>४१२१००३.००</b>              | <b>४१२१००.५४</b>                                |                              |
|   |                             | <b>एकूण कार्यक्रम खर्च</b> | <b>६५७३१०७.००</b>              | <b>६५७३११.२६</b>                                |                              |